





2. संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अविलंब प्रतिनियुक्त स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाय।

3. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब अपना योगदान समर्पित कर कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को इसकी सूचना देंगे।

4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

क० / पटना, दिनांक 15-1-, 2016

ज्ञापांक-

55

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/संबंधित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

55

क० / पटना, दिनांक 15-1-, 2016

प्रतिलिपि:- सचिव बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को उनके पत्र संख्या-4/आ० दिनांक 03.01.16/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

55

क०, पटना, दिनांक- 15-1-, 2016

प्रतिलिपि :- आई०टी मैनेजर, कृषि विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।